निर्मलजीत कौर जे. के समक्ष

भूप सिंह-अपीलार्थी

बनाम

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य

प्रतिवादीगण

2015 का एफ. ए. ओ. **No.1714**

04 नवंबर, 2019

मोटर वाहन अधिनियम**, 1988-S.166** और **S.175 (1)**-मोटर दुर्घटना-बीमाकर्ता के प्रमाण पत्र का हस्तांतरण-मूल पंजीकृत मालिक को आरोपित किए बिना दायर दावा याचिका-न्यायाधिकरण ने बीमाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया-चालक पर देयता निर्धारित की गई**,** जो बाद का खरीदार/पंजीकृत मालिक भी था-इसके खिलाफ अपील-बीमाकर्ता ने बाद के खरीदार को क्षतिपूर्ति देने के दायित्व से इनकार कर दिया-आयोजित**, S.175 (1)** में एक डीमिंग प्रावधान है जिसके परिणामस्वरूप बीमा और पॉलिसी के प्रमाण पत्र को बाद के खरीदार को हस्तांतरित किया जाता है- तीसरे पक्ष के दावे को पूरा करने के लिए बीमाकर्ता का दायित्व वाहन के स्वामित्व के स्थाई हस्तांतरण के साथ जारी नही रहता है इससे दुर्घटना के समय भी वाहन के स्वामित्व के संबंध में पता देने की आवश्कता समाप्त हो जाती है-यह वाहन के स्वामित्व के संबंध में निष्कर्ष देने की आवश्यकता को समाप्त करता है।तथ्यों के आधार पर बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया

कहा गया कि प्रतिवादीगण के विद्वान वकील का यह तर्क कि दुर्घटना की तारीख को वर्तमान अपीलकर्ता मालिक नहीं था और इसलिए, वे दुर्घटना के समय मालिक की अनुपस्थिति में क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं, कोई योग्यता नहीं है और 2017 (7) जे. टी. 244 के मामले फिरदौस बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जवाब दिया गया है कि वाहन के स्वामित्व के बारे में कोई निष्कर्ष देना आवश्यक नहीं था क्योंकि बीमा कंपनी का दायित्व मालिक के परिवर्तन के साथ भी जारी रहता है। (पैरा 12)

आगे यह कहा गया कि बाद वाला खरीदार पॉलिसी के तहत कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं ले रहा है।यहाँ, मुआवज़े का भुगतान तीसरे पक्ष को किया जा रहा है, जो या तो बीमित हैं या मृतक के दावेदार हैं।बीमाकर्ता द्वारा लिए गए दायित्व को लागू करने के उनके

अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी ने लिखित बयान में ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई कि पहले के मालिक को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था। (पैरा 13)

दिव्य सरूप, अधिवक्ता
अपीलार्थी के लिए।

वंदना मल्होत्रा,अधिवक्ता
प्रतिवादी नं. 1 की अधिवक्ता।

निर्मलजीत कौर**,** जे।

(1) वर्तमान अपील उक्त मुआवजा देने वाले निर्णय दिनांकित 14.10.2014 को रद्द करने के खिलाफ अनुरोध के साथ दायर की गई है।

(2) संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 (संक्षेप में, '1988 अधिनियम') के तहत एक मोटर वाहन दुर्घटना में उसको लगी हुई आकस्मिक चोटों के कारण मुआवजे के लिए एक दावा याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि दुर्घटना करने वाले वाहन महिंद्रा जीप No.RJ-27U-/ 0472 के चालक ने गाँव मेहराना के क्षेत्र में 30.01.2013 पर लापरवाही से गाड़ी चलाई। दावा याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी और प्रतिवादी संख्या 2 को अपीलकर्ता को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 कंपनी को किसी भी मुआवजे का भुगतान करने से बरी कर दिया गया था क्योंकि यह समझा गया था कि दुर्घटना के समय पंजीकृत मालिक को दावा याचिका में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए चालक को दावेदार/प्रतिवादी संख्या 2 को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।

(3) यह स्पष्ट किया जा सकता है कि चालक भूप सिंह भी पंजीकृत मालिक था लेकिन उसने दुर्घटना की तारीख के बाद कार खरीदी थी।

(4) उक्त निर्णय को निरस्त करने के लिए प्रार्थना करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण दावेदार को मुआवजा देने के लिए अपीलार्थी के दायित्व के संबंध में पूरी तरह से गलत हो गया है क्योंकि बीमाकर्ता-कंपनी 1988 के अधिनियम की धारा 157 (1) के प्रावधानों के आधार पर तीसरे पक्ष के दावे का जवाब देने

के लिए उत्तरदायी है। उनके तर्क का समर्थन करने के लिए, J.S.Choudhary बनाम रितु देवी और अन्य के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया गया था।1. दूसरा, चूंकि उल्लंघन करने वाले वाहन के स्वामित्व के बारे में कोई विवाद नहीं था, जिसे अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा खरीदा गया था, इसलिए पंजीकृत मालिक को एक पक्ष के रूप में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।दुर्घटना के समय पंजीकृत मालिक एक आवश्यक पक्ष नहीं था, विशेष रूप से जब बीमा पॉलिसी स्वयं बाद के मालिक को हस्तांतरित कर दी गई थी।

(5) प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने अपील का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि दुर्घटना 30.01.2013 को हुई थी. उस समय पंजीकृत मालिक अपनी आधिकारिक क्षमता में S.P.Udaipur था, जबकि वर्तमान अपीलार्थी के नाम पर वाहन के हस्तांतरण के लिए आवेदन 27.02.2013 पर दायर किया गया था, यानी दुर्घटना के लगभग 27 दिन बाद और दावा याचिका 4.4.2013 पर दायर की गई थी।चूँकि बीमा कंपनी दुर्घटना के समय केवल वाहन के पंजीकृत मालिक को ही क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए उक्त मालिक को एक पक्ष के रूप में शामिल करना आवश्यक था और दुर्घटना के समय कार के उक्त पंजीकृत मालिक को शामिल करने के अभाव में, बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है।

(6) अपीलार्थी के विद्वान वकील ने 1988 के अधिनियम की धारा 157 का भी उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि पॉलिसी को उस व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित किया गया था जिसे मोटर वाहन हस्तांतरित किया गया था और इसलिए, धारा 149 (2) (बी) के तहत केवल जो आपत्ति उठाई जा सकती थी, वह बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं है।यह आगे तर्क दिया जाता है कि लिखित बयान में आवश्यक पक्ष को शामिल करने के संबंध में किसी भी आपत्ति के अभाव में, उक्त आपत्ति को बाद में नहीं उठाया जा सका।

(7) पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना जाता है।उचित निर्णय के लिए, 1988 के अधिनियम की धारा 157 (1) को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैः-

> “157(1).बीमा प्रमाणपत्र का हस्तांतरण।-(1) जिस व्यक्ति के पक्ष में बीमा प्रमाणपत्र इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है, वह उस मोटर वाहन का स्वामित्व दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर देगा जिसके संबंध में ऐसा बीमा उससे संबंधित बीमा पॉलिसी के साथ लिया गया था, बीमा प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र में वर्णित पॉलिसी उस व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित की गई मानी जाएगी जिसे मोटर वाहन हस्तांतरण की तारीख से प्रभावी है।”

(8) 1988 के अधिनियम की धारा 157 (1) के अवलोकन से पता चलता है कि बीमा प्रमाणपत्र का हस्तांतरण उस व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरण की तारिख से हस्तांतरित किया गया माना जाता है जिसे मोटर वाहन हस्तांतरित किया जाता है। प्रबंध निदेशक **K.S.R.T.C.** बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस **Co.Ltd.** और अन्य के मामले में तथ्यों के अनुसार,उच्च न्यायालय ने पंजीकृत मालिक और बीमाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया था, लेकिन कंपनी ने यह अभिनिर्धारित किया था कि पट्टे के समझौते के तहत बस के वास्तविक नियंत्रण के साथ-साथ बस चलाने वाले ड्राईवर को उत्तरदाई बनाया गया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए, शीर्ष अदालत ने प्रबंध निदेशक, केएसआरटीसी (सुप्रा) के उपरोक्त मामले में पैरा नं. 25 एवं 26 निम्नानुसार है:-

“25. 1988 के अधिनियम की धारा 157 के तहत जो प्रावधान किया गया है उसका एक हिस्सा यह है कि बीमा प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र में वर्णित पॉलिसी उस व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित की गई मानी जाएगी जिसे मोटर वाहन हस्तांतरित किया गया है।यहां तक कि अगर बिक्री द्वारा वाहन का हस्तांतरण होता है, तो बीमाकर्ता दायित्व से बच नहीं सकता है क्योंकि बीमा प्रमाण पत्र का हस्तांतरण माना जाता है।वर्तमान मामले में यह उस वाहन का पूर्ण हस्तांतरण नहीं है इसे किराए पर दिया गया है जिसके लिए कोई निषेध नहीं है और बीमा की कोई शर्त/नीति नहीं है कि किराए पर वाहन चलाने को प्रतिबंधित करने के लिए दिखाया गया है।वाहन का उपयोग असंगत उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था।इस प्रकार, किसी भी कानूनी निषेध के अभाव में और पॉलिसी के नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन में, विशेष रूप से, 1988 के अधिनियम की धारा 157 के प्रावधानों को देखते हुए, हमारी राय है कि बीमाकर्ता दायित्व से बच नहीं सकता है।

26. अब, हम धारा 147 (1) के दूसरे प्रावधान के तहत संविदात्मक दायित्व के बहिष्करण के प्रश्न पर आते हैं।जब हम धारा 147 के प्रावधानों को धारा 157 के साथ एक साथ पढ़ते हैं, तो इसमें किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है कि वाहन के हस्तांतरण के मामले में पॉलिसी का हस्तांतरण माना जाता है।इसलिए, बीमाकर्ता का दायित्व वाहन के हस्तांतरण के अनुबंध के बावजूद जारी रहता है, इस तरह के

संविदात्मक दायित्व को 1988 के अधिनियम की धारा 147 (1) के दूसरे प्रावधान के आधार पर बाहर नहीं कहा जा सकता है।उच्च खरीद समझौता, पट्टे के लिए एक समझौता या परिकल्पना के लिए एक समझौता 1988 के अधिनियम की धारा 2 (30) के तहत शामिल हैं।ऐसे समझौतों के तहत कब्जे वाले व्यक्ति को वाहन का मालिक माना जाता है। यदि इस तरह के संविदात्मक दायित्व को बाहर रखा जाता है तो विसंगत परिणाम सामने आएंगे और उच्च खरीद समझौते के तहत वित्तपोषक को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।हमारे विचार में, किराए पर पट्टे के लिए एक समझौते को 1988 के अधिनियम की धारा 147 (1) के दूसरे प्रावधान में संविदात्मक दायित्व के तहत बहिष्करण के लिए परिकल्पित अनुबंध नहीं कहा जा सकता है।उच्च न्यायालय ने अन्यथा निर्णय लेने में में गलती की है।"

(9) इस प्रकार, जहां तक तीसरे पक्ष का संबंध है, निर्णय को सुरक्षित रखने ओर बीमाकर्ता के खिलाफ इसे लागू करने की पात्रता से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए, दावेदार के दावे को पूरा करने का दायित्व बीमा कंपनी का होगा।

(10) प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी के विद्वान वकील का तर्क है कि उक्त तथ्य बीमाकर्ता के ध्यान में नहीं लाया गया था।इसलिए, बीमाकर्ता अभी भी 1988 के अधिनियम की धारा 157 (1) के आधार पर तीसरे पक्ष के दावे का जवाब देने के लिए उत्तरदायी होगा, जो बीमा पॉलिसी के हस्तांतरण के लिए मानित प्रावधान है।इस न्यायालय की एकल पीठ ने **J.S.Choudhary** के मामले (उपरोक्त) में एक ऐसे मामले में जहाँ स्वामित्व संदेह में था और पंजीकृत मालिक ने स्वामित्व से इनकार कर दिया: जो की पैरा 5 में निम्नलिखित है-

> "5. सभी मामलों में, जहां मालिक-स्वामित्व का अनुरोध विचाराधीन है, पहला प्रयास यह देखने का होना चाहिए कि पंजीकृत मालिक कौन है।यदि पंजीकृत मालिक स्वामित्व से इनकार करता है और किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरण का अनुरोध करता है, लेकिन हस्तांतरणकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया जाता है, तो न्यायाधिकरण किसी भी पक्ष को अभियोग का निर्देश देने के लिए कह सकता है और यदि साक्ष्य हस्तांतरणकर्ता द्वारा स्थानांतरण की स्वीकृति दिखाता है, तो न्यायाधिकरण अकेले हस्तांतरणकर्ता को उत्तरदायी बनाने में उचित होगा।यदि कोई बीमा पॉलिसी है, चाहे हस्तांतरण का तथ्य बीमाकर्ता को अधिसूचित न किया गया हो, लेकिन बीमाकर्ता कार्यवाही में एक पक्ष हो, तो न्यायाधिकरण बीमाकर्ता को मोटर

वाहन अधिनियम की धारा 157 (1) के तहत प्रावधानों के आधार पर तीसरे पक्ष के दावे का जवाब देने के लिए उत्तरदायी बनाने में भी उचित होगा, जो बीमा पॉलिसी के हस्तांतरण के लिए डीमिंग प्रावधानों का गठन करता है।"

(11) वर्तमान मामले में, अपीलार्थी यह स्वीकार करने के लिए आगे आया है कि विवादग्रस्त वाहन उसे हस्तांतरित किया गया था और वह पंजीकृत मालिक था और इसलिए, 1988 के अधिनियम की धारा 157 (1) के संदर्भ में, जिसमें मानित प्रावधान शामिल है, बीमा और पॉलिसी का प्रमाण पत्र भी उसे हस्तांतरित किया गया माना जाता है।इसलिए, बीमाकर्ता इस आधार पर की मालिक को पहले पक्षकार नहीं बनाया गया था, अपने दायित्व से बच नहीं सकता है

(12) प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील का यह तर्क कि वर्तमान अपीलकर्ता दुर्घटना की तारीख को मालिक नहीं था और इसलिए, वे दुर्घटना के समय मालिक की अनुपस्थिति में क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं, कोई योग्यता नहीं है और इसका उत्तर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फिरदौस बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य के केस में दिया गया और कहा की वाहन के स्वामित्व के संबंध में कोई निष्कर्ष देना आवश्यक नहीं था क्योंकि बीमा कंपनी का दायित्व मालिक के परिवर्तन के साथ भी जारी रहता है।उक्त निर्णय का पैरा 16 इस प्रकार हैः-

> "16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस मामले के उद्देश्य से दुर्घटना की तारीख को वाहन No.HR 2G 1875 के स्वामित्व के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालना हमारे लिए आवश्यक नहीं है।किसी भी स्थिति में, चाहे दुर्घटना की तारीख को प्रतिवादी संख्या 1 वाहन का मालिक था, या प्रतिवादी संख्या 4 वाहन का मालिक था, ओरिएंटल इंश्योरेंस Co.Ltd का दायित्व है। कंटिन्यूज एंड वर्कमेन कम्पेन्सेशन कमिश्नर ने बीमा कंपनी पर दायित्व को उचित रूप से निर्धारित किया है।उच्च न्यायालय द्वारा यह पता लगाने के लिए रिमांड की गई कि क्या परवेज खान प्रतिवादी नंबर 1 का कर्मचारी था या नहीं, अनावश्यक था।"

(13) बाद वाला खरीदार पॉलिसी के तहत कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं ले रहा है।यहाँ, मुआवज़े का भुगतान तीसरे पक्ष को किया जा रहा है, जो या तो बीमित हैं या मृतक के दावेदार हैं।बीमाकर्ता द्वारा लिए गए दायित्व को लागू करने के उनके अधिकार से इनकार

नहीं किया जा सकता है।इसके अलावा, यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी ने लिखित बयान में ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई कि पहले के मालिक को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

(14) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील को आंशिक रूप से अधिनिर्णय को इस हद तक दरकिनार करते हुए अनुमति दी गई है कि कौन सा निर्देश जारी किया गया है कि वर्तमान अपीलकर्ता, जो केवल उल्लंघन करने वाले वाहन का चालक और पंजीकृत मालिक था, उत्तरदायी है और दायित्व अब प्रतिवादी-बीमा कंपनी पर निर्धारित किया गया है, जो अपीलकर्ता के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होगी। न्यायाधिकरण द्वारा पहले से निर्धारित ब्याज के साथ इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर प्रतिवादी-बीमा कंपनी द्वारा राशि जमा की जानी चाहिए।यदि उक्त राशि इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो उसे उक्त दो महीने की समाप्ति से 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ जमा किया जाएगा।

(15) तदनुसार निपटाया गया।

त्रिभुवन दहिया

3 2017(7) जेटी **244**

विकास **(**अनुवादक**)**

अस्वीकरण**:** स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है**!** सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उदेशयो के लिए निर्णय का अंग्रेजी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानवयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।